



आवास अनुभाग/Housing Section
भा.कृ.अ.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute
नई दिल्ली-12
New Delhi-12



मिसिल संख्या 6-5/2022/आ./11656

दिनांक: अप्रैल 17, 2025

परिपत्र

दिनांक 07.03.2025 को जारी किए गए समसंख्यक परिपत्र के क्रम में कृषि कुंज एवं पूसा परिसर के सभी आबंटियों को सूचित किया जाता है कि वे आवास आबंटन के नियमों एवं शर्तों का सख्ती से पालन करें तथा आवासीय परिसर में शांतिपूर्ण और अच्छे पड़ोसी का दृष्टिकोण बनाए रखें और अपना आचरण ठीक रखें। साथ ही आबंटित आवास को बाहरी व्यक्तियों को किराये पर देना आवास आबंटन नियमवली के विरुद्ध है जिसके फलस्वरूप दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध आवास निरस्तीकरण के अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जा सकती है।

कृषि कुंज एवं पूसा परिसर के सभी आबंटियों को पुनः सूचित किया जाता है कि GPRA 2017, नियम 67 (1) के अनुसार कोई भी आबंटी अपने आबंटित आवास जिसके अंतर्गत गैराज भी है, के सम्पूर्ण या किसी भाग को उप-किराएदारी पर नहीं देगा। GPRA 2017, नियम 67 (2) एवं (3) के अनुसार यदि कोई आबंटिती अप्राधिकृत रूप से आवास को उप-किराएदारी पर देता है तो आवास के निरीक्षण की तारीख से आवास का आबंटन रद्द माना जाएगा और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उनके आवास निरस्तीकरण के अलावा अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रस्तावित की जाएगी।

आगे सभी आबंटितियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किराएदारी के मामलों पर निगरानी रखने के लिए एक समिति कार्यरत है। समिति द्वारा कभी भी आवासों का औचक निरीक्षण किया जा सकता है एवं इस मुद्दे पर उनकी रिपोर्ट को अंतिम माना जाएगा।

अतः इस परिपत्र के जारी होने के पश्चात यदि किराएदारी की कोई शिकायत प्राप्त होती है अथवा आवासीय परिसर में अशान्ति पैदा करने की कोई शिकायत प्राप्त होती है और निगरानी समिति द्वारा उसे वैध पाया जाता है, तो आबंटित आवास को समिति द्वारा निरीक्षण की तिथि से रद्द कर दिया जाएगा। साथ ही आवास खाली करने की तिथि तक प्रति माह के आधार पर क्षति शुल्क भी लगाया जाएगा और उस शुल्क की वसूली दोषी अधिकारी के वेतन से की जाएगी।

सभी आबंटितियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए उपरोक्त आवास आबंटन नियमों का अनुपालन करें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

वितरण:

11104115
 सहायक प्रशासनिक अधिकारी (आवास)

1. परियोजना निदेशक/ सभी विभागाध्यक्ष/ क्षेत्रीय स्टेशन – इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को अपने अधीन कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों में परिचालित करें।
2. आवास जांच समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को इस अनुरोध के साथ कि किराएदारी के मामलों को रोकने के लिए समय-समय पर कृषि कुंज एवं पूसा परिसर के आवासों का औचक निरीक्षण किया जाए एवं जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
3. प्रभारी, AKMU, को परिपत्र संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संयुक्त निदेशक (अनुसंधान/ शिक्षा/ प्रसार/ प्रशासन) भा. कृ. अनु. प.-भा. कृ. अनु. सं., के निजी सचिव को सूचनार्थ।
5. गार्ड मिसिल।